



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in


क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2022/डी- 3861

दिनांक:- 05-07-2022

सार्वजनिक विज्ञप्ति

ग्राम गोनेर तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 495 रकबा 0.58 हैक्टेयर, 496 रकबा 0.33 हैक्टेयर, 498 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 499 रकबा 0.82 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.74 हैक्टेयर भूमि की 90ए मामला संख्या 91 वर्ष 2013 निर्णय दिनांक 10.09.2013 को ऐरियन कामर्शियल प्रा.लि. पंजीकृत कार्यालय 8, केमेक स्ट्रीट रूम नं. 3ए, पांचबी मंजिल, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) के पक्ष में पारित किया गया था। ऐरियन कामर्शियल प्रा.लि. पंजीकृत कार्यालय 8, केमेक स्ट्रीट रूम नं. 3ए, पांचबी मंजिल, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) द्वारा उक्त 90-ए शुदा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.05.2022 को श्रीमती सुमन झालानी पत्नी श्री नरेश झालानी निवासी प्लाट नं. 57, नेमी सांगर कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर द्वारा क्रय किया गया है। प्रार्थीया श्रीमती सुमन झालानी द्वारा उक्त क्रयशुदा भूमि का आवासीय योजना मानचित्र अनुमोदन हेतु निवेदन किया गया है।

अतः उक्त भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में अपनी लिखित आपत्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।


उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रस्तुत है।
2. श्रीमती सुमन झालानी पत्नी श्री नरेश झालानी निवासी प्लाट नं. 57, नेमी सांगर कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

//
उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

PR/R-825
6/7/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

क्रमांक:- जविप्रा/उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय)/2022/डी-3333 दिनांक:- 6.7.2022

—:सूचना:—


पृथ्वीराज नगर में निम्न योजना के निम्न भूखण्डधारी ने नियमन/गू-आवंटन हेतु पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय), जविप्रा, जयपुर में आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्ड का स्वामित्व/सृजन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था/कम्पनी/सह-खातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा निम्न आवेदक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	श्री तरुण कुमार सिंघल पुत्र स्व. श्री राधेश्याम सिंघल (संयुक्त गृ.नि.स.समिति की योजना विधानसभा नगर-ए)	A 68	215.83

॥
उपायुक्त
जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञापित का प्रकाशन कराने का श्रम करें।
2. को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञापित का प्रकाशन हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भिजवा दिया गया है।


उपायुक्त
जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

PRO/R-827
6/7/22

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष - {+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555
ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

N.P.-V.N.



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in


क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./ जोन-4/2022/डी-1437

दिनांक 05.07-2022

विज्ञप्ति/ सूचना


आवेदक द्वारा दस्तावेजात प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड का लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड पट्टा जारी करने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/ हितकारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड पट्टा जारी करने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	समिति एवं योजना नाम	आवेदक/आवेदिका का नाम	मूल आवंटनधारी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	102	नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना मुक्तानन्द नगर	श्री रामबाबू जैन पुत्र स्व. श्री राम चरण लाल जैन	श्री रामचरण लाल जैन पुत्र श्री सोनपाल जैन	पंजीकृत लीजडीड, पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर


उपायुक्त जोन-4
जयपुर, जयपुर।

प्रतिलिपी:-

- जन सम्पर्क, अधिकारी, जयपुर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जयपुर के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करवाते हुये प्रकाशन की एक प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाने का श्रम करावे।
- सिस्टम एनालिस्ट, जयपुर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त विज्ञप्ति को जयपुर की वेबसाईड पर अपलोड करने का श्रम करे।


उपायुक्त जोन-4
जयपुर, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई-मेल : dc.zone04@jaipurjda.org



क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2022/डी- 1367

दिनांक 6/2/22

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी मोहम्मद सलीम द्वारा भूखण्ड संख्या सी- 50 हनुमान नगर का नाम हस्तान्तरण करते हुए फ्री होल्ड पट्टा जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा श्रीमती आबिदा खान पत्नी श्री जी. खान को जारी किया गया था। श्रीमती आबिदा खान एवं श्री जी. खान का मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की प्रति एवं स्वप्रमाणित सजरा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आवेदक द्वारा स्वयं को एकमात्र भूखण्ड का स्वामी अंकित किया गया है।

अतः उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/पट्टा जारी किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति 7 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नं. पीबी-एसएफ- 218डी में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में एकतरफा कार्यवाही कर दी जावेगी।

Sd.

उपायुक्त जोन-7

जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

Sd.
उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

PROR-829
6/7/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2022/डी- ५४४५

दिनांक- 06-7-2022

सार्वजनिक सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में आपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

आनलाईन नम्बर-109555, 109560, 110418

क्र. सं.	भू.सं.	क्षेत्रफल व.ग.	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	21 22	173.21 173.33	बंशीपुरी द्वितीय	श्री महेन्द्र सैनी पुत्र स्व. श्री सूरज मल सैनी	श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी सूरज मल सैनी	मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर।
2	ए-51/2	138.88	शिव ऑफिसर्स कॉलोनी विस्तार पार्ट तृतीय	श्री पितरा मीणा पत्नी स्व. श्री नत्थू सिंह मीणा	श्रीमती कृष्णा भाटी पत्नी श्री सुनील भाटी	रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र के आधार पर।

उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-9 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

ni

उपायुक्त जोन-9

उपायुक्त जोन-9

जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपी-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावे।

PRO R-830
6/7/22

na
उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555



क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2022/डी- 5870

दिनांक:- 06/7/22

सार्वजनिक विज्ञप्ति

श्री छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना सम्राट नगर के भूखण्ड संख्या ई-10 क्षेत्रफल 156.75 वर्ग मीटर का आवंटन समिति द्वारा किरण नारंग पुत्री श्री आर.एस.डी नारंग के नाम से किया गया है। तत्पश्चात किरण नारंग पुत्री श्री आर.एस.डी नारंग द्वारा उक्त भूखण्ड का जरिये अपंजीकृत ईकरारनामा दिनांक 17.7.1994 को डॉ. सुलभा भार्गव पत्नी श्री दिनेश भार्गव को किया गया है। तत्पश्चात डॉ. सुलभा भार्गव पत्नी श्री दिनेश भार्गव द्वारा जरिये अपंजीकृत ईकरारनामा दिनांक 10.06.1999 के द्वारा श्री योगेन्द्र नाथ भार्गव पुत्र स्व. श्री ओमकार नाथ भार्गव को किया गया है। तत्पश्चात जविप्रा द्वारा पत्र क्रमांक डी-128 दिनांक 29.01.2000 के द्वारा श्री योगेन्द्र नाथ भार्गव पुत्र स्व. श्री ओमकार नाथ भार्गव के नाम हस्तान्तरण किया जा चुका है। 200 फीट रोड से प्रभावित स्ट्रक्चर्स सर्वे सूची में क्रम संख्या 31 पर प्रार्थी के नाम के स्थान पर नामालूम लिखा हुआ है।

वर्तमान में उक्त भूखण्ड संख्या ई-10 योजना सम्राट नगर के भूखण्डधारियों का पुर्नवास किये जाने हेतु सर्वे सूची में प्रार्थी श्री योगेन्द्र नाथ भार्गव पुत्र स्व. श्री ओमकार नाथ भार्गव का नाम दर्ज किया जाना है।

अतः उक्त भूखण्ड के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में अपनी लिखित आपत्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा प्रकरण में योजना के मानचित्र अनुमोदन कर लीजडीड जारी किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित करावें।

PRO/R-931
6/7/22

7/7
उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

06/7/2022

क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2022/डी- 3889

दिनांक- 06/7/2022

सार्वजनिक सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भू.सं.	क्षेत्रफल	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	एस-9/20	23.22 व.मी.	कर्मचारी योजना टीलावाला ब्लॉक सी-1	श्रीमी सीमा माहेश्वरी पत्नी श्री बालकिशन माहेश्वरी	श्री रूपनारायण शर्मा पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा	अपजीकृत दस्तावेज

उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-9 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

Sds

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपी

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-8/2022/डी- 1938

दिनांक:- 5/7/2022

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहें।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	133	कृष्णा सागर (निजी खातेदारी)	श्री अभिनव अग्रवाल पुत्र स्व० श्री चन्द्र मोहन अग्रवाल	श्री चन्द्र मोहन अग्रवाल पुत्र श्री एस.एन. अग्रवाल	मृत्यु उपरांत रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 22.07.2021 के आधार पर
2	एफ-1105	गोविन्दपुरा (जविप्रा योजना)	श्री शौकत अली पुत्र श्री वाजिद अली	श्री रोशन पुत्र श्री निहारू	अपजीकृत इकरारनामा दिनांक 21.07.2015 के आधार पर
3	162	गोविन्दपुरा (जविप्रा योजना)	श्रीमती मनमोजी देवी पत्नी स्व० श्री मोतीलाल बैरवा	श्री मोतीलाल बैरवा पुत्र श्री ग्यारसी लाल बैरवा	मृत्यु उपरांत रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 20.04.2022 के आधार पर
4	47	नारायण विहार ब्लॉक-पी (निजी खातेदारी)	श्री मदन लाल मेहता पुत्र श्री जगदीश नारायण मेहता	श्री जगदीश नारायण मेहता पुत्र श्री रामलाल	मृत्यु उपरांत रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 02.05.2022 के आधार पर

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

6/7/22

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

सार्वजनिक सूचना

पृथ्वीराज नगर निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारी, ने विभिन्न योजनाओं एवं समिति के भूखण्डों के नियमन/भू-आवंटन हेतु कार्यालय उपायुक्त पृथ्वीराज नगर (दक्षिण-प्रथम), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किया है। जो नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन/लीजडीड हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये है। यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में कार्यालय को सूचित करें अन्यथा आवेदको के पक्ष में उक्त भूखण्डों का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जावेगा।

क्र.स	आवेदक का नाम मय पिता/पति का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.ग.
1.	श्रीमती सरोज धनखड़ पत्नी श्री रणदीप धनखड़ दी फारेस्ट व्यू हाउसिंग सोसायटी लि. योजना मोनिका विहार	ए-20	301.19
2.	श्रीमती सरोज धनखड़ पत्नी श्री रणदीप धनखड़ दी फारेस्ट व्यू हाउसिंग सोसायटी लि. योजना मोनिका विहार	ए-19	926.10
3.	श्री अनिल कुमार गोयल पुत्र श्री राधा मोहन गोयल दी शिवा कॉपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि.6 डी इंजीनियर्स कॉलोनी	एफ-55	516.66

उक्त विज्ञप्ति राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14.03.22 के क्रम में प्रकाशन करवाकर एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावे, ताकि ऑन लाईन प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण किया जा सके।

उपायुक्त
पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम),
जविप्रा, जयपुर।

जन संपर्क अधिकारी

जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांक: जविप्रा/उपा. पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम) /2022/डी-

1283/ 4.7.22

12833
6/7/22

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष-(+91-141-सम्बन्धित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बन्धित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बन्धित अधिकारी का ईमेल)

128333-3471-22.docx



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in



क्रमांक:- जविप्रा/उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय)/2022/डी-3324 दिनांक:- 5-7-2022

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना महिमा नगर विस्तार के भूखण्ड संख्या 08 क्षेत्रफल 210.00 वर्गगज का श्री जितेन्द्र सिंह राजावत पुत्र श्री भंवर सिंह राजावत एवं श्रीमती पूजा कंवर पत्नी श्री जितेन्द्र सिंह राजावत द्वारा जोन में पट्टा विलेख जारी करवाने बाबत नागरिक सेवा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त भूखण्ड ग्राम बलरामपुरा उर्फ खेजडों का बास तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 135 से आंशिक रूप से प्रभावित है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हो चुकी है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.10.2014 के अनुसार उक्त विज्ञप्ति जारी की जा रही है। अतः उक्त भूखण्ड का पट्टा विलेख जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/हितधारी/खातेदार को कोई आपत्ति हो तो इस कार्यालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करे। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही करते हुए भूखण्डधारी का पट्टा विलेख जारी कर दिया जायेगा।


उपायुक्त

जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. उपनिर्देशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन कराने का श्रम करें।
2. को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भिजवा दिया गया है।


उपायुक्त

जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555
ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

N.P.-V.N.